(1)

राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग
राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी

20/198, कावेरी पथ, सैक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर।

क्रमांकः एफ24(3)(17)बाअवि/सारा/दत्तक ग्रहण/अस्पताल शि.पा.के./15/55705 जयपुर, दिनांकः 25/1/17

आदेश

विषयः– किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत समस्त अस्पताल/सैटेलाइट चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/नर्सिंग होम/प्रसूति केन्द्र/फर्टिलिटी सेन्टर/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की भूमिका के संबंध में दिशा–निर्देश।

भारत सरकार द्वारा 0 से 18 वर्ष के बच्चों की देखरेख, संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए "किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015" एवं इसके अंतर्गत अधिसूचित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के अतिरिक्त "समेकित बाल संरक्षण योजना" लागू की गई है।

राजस्थान सरकार द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत बच्चों की देखरेख, संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए राज्य स्तर पर राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी एवं प्रत्येक जिले में जिला बाल संरक्षण इकाईयां तथा बाल कल्याण समिति (न्यायपीठ) गठित की गई है। उक्त अधिनियम एवं आदर्श नियम के प्रावधानों के अनुसार बच्चों की देखरेख और पुनर्वास के लिए प्रत्येक जिले में राजकीय एवं गैर राजकीय बाल देखरेख संस्थानों का संचालन किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत अनाथ/परित्यक्त/समर्पित (अभ्यर्पित) शिशुओं/बच्चों को योग्य परिवार में पुर्नस्थापित करने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों में विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सियां (शिशु गृह) संचालित की जा रही है। **यह सभी एजेंसियां केडल बेबी रिसेप्शन सेन्टर के रूप में कार्यरत हैं।** इन एजेंसियों में आने वाले शिशुओं/बच्चों को अधिनियम के अंतर्गत दत्तक ग्रहण (गोद देने) हेतु केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर प्रसारित दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. क्रिमीनल पिटिशन नं. 1018/2012 एस के गुप्ता बनाम राजस्थान सरकार में परित्यक्त किए जा रहे शिशुओं के संरक्षण तथा शिशुओं के पुनर्वास के विषय को गम्भीरता से लिया गया हैं। इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान के आदेश दिनांक 25.02.2013 के माध्यम से संबंधित एजेंसियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे।

अनाथ/परित्यक्त/समर्पित (अभ्यर्पित) शिशुओं/बच्चों के दत्तक ग्रहण हेतु केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा निर्मित नवीन "दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017" को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। नवीन "दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017" के बिन्दु संख्या 29 (5) के अन्तर्गत विशेषज्ञ दत्तक

ग्रहण एजेंसी से अपेक्षा की गई है कि वे परित्यक्त बच्चों को प्राप्त करने के लिए एजेंसी के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल, नर्सिग होम तथा महिलाओं हेतु संचालित अल्पावास गृह एवं स्वाधार गृह में शिशु पालना स्थल स्थापित कर सकेगें।

राज्य में नवजात शिशुओं/बच्चों के सुरक्षित परित्याग को सुनिश्चित करने के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंतर्गत की गई बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 114.6 में राज्य में अवांछित एवं लावारिस बच्चों के लिए जिला, उपजिला एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 65 आश्रय/पालना स्थल स्थापित करने की घोषणा की जाकर आश्रय/पालना स्थलों की स्थापना की जा रही हैं। उक्त के अतिरिक्त अधिकांश जिलों में स्थापित विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सियां (शिशु गृह) एवं अन्य प्रमुख चिकित्सालयों के बाहर पालना स्थल/घर स्थापित किए गए हैं।

सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रेषित अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से राज्य में नवजात शिशु/बच्चों (अनाथ, परित्यक्त एवं समर्पित (अभ्यर्पित)) के गैर कानूनी रूप से गोद देने को रोकने के संबंध में समस्त अस्पताल/नर्सिंग होम/प्रसूति केन्द्र/फर्टिलिटी सेन्टर को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करने हेतु अनुरोध किया है।

उक्त परिप्रेक्ष्य एवं नवीन परिस्थितियों को देखते हुए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के बाध्यकारी प्रावधानों, समेकित बाल संरक्षण योजना में वर्णित प्रावधानों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय/राजस्थान उच्च न्यायालय के समय–समय पर दिए गए आदेशों तथा केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दत्तक ग्रहण हेतु अधिसूचित दिशा–निर्देशों के क्रम में **राजकीय अथवा गैर राजकीय अस्पताल/सैटेलाइट चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/नर्सिंग होम/प्रसूति केन्द्र/फर्टिलिटी सेन्टर/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की शिशुओं/बच्चों की देखरेख और संरक्षण के संबंध में भूमिका हेतु निम्न दिशा–निर्देश जारी किए जाते है–**

1. उपरोक्त वर्णित संस्थान के किसी डॉक्टर या नर्स या प्रबंधक अथवा अन्य किसी कर्मचारी को अनाथ, परित्यक्त, समर्पित (अभ्यर्पित) या अधिनियम की धारा 2 (14) में वर्णित अन्य कोई देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले शिशु/बच्चे के आश्रय/पालना स्थल अथवा अन्य किसी स्थान पर मिलने की स्थिति में उसे फॉर्म 17 में विवरण सहित अधिकतम 24 घण्टे के अन्दर संबंधित बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। (धारा–31(vii), नियम 18 (1))

2. 2 वर्ष से कम उम्र के शिशु/बच्चे के अस्वस्थ होने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित संस्थान द्वारा बच्चे के संदर्भ में लिखित रिपोर्ट मय पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 24 घण्टे के अन्दर संबंधित बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। शिशु/बच्चे के स्वस्थ होने उपरान्त तुरन्त उसे फॉर्म 17 में विवरण मय स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा प्रमाण–पत्र के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। (नियम 18 (2))

3. उपरोक्त वर्णित संस्थान के किसी कार्मिक द्वारा ऐसे शिशु/बच्चे को अपने पास रखा जाता है या उसकी जिम्मेदारी/चार्ज लिया जाता है या कार्मिक को बच्चा सौंपा जाता है तथा ऐसे शिशु/बच्चे का खोया या परित्यक्त होना प्रतीत होता है या खोया या परित्यक्त होने का दावा किया जाता है या किसी शिशु/बच्चे के बिना कुटुम्ब के

अनाथ प्रतीत होता है या अनाथ होने का दावा किया जाता है, तो ऐसे शिशु/बच्चे की सूचना अधिकतम 24 घण्टे के अन्दर संबंधित बाल कल्याण समिति/स्थानीय पुलिस/चाइल्ड लाइन (1098)/जिला बाल संरक्षण इकाई को दिया जाना अनिवार्य है। (धारा–32)

4. अनाथ, खोया (गुमशुदा) या परित्यक्त शिशु/बच्चे की सूचना निर्धारित समयावधि में नहीं देने पर यह अपराध होगा तथा ऐसे व्यक्ति को अधिकतम 6 माह का कारावास या 10,000 रूपये का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकेगा। (धारा– 33 एवं 34)

5. किसी शिशु/बच्चे के परित्यक्त या समर्पित (अभ्यर्पित) होने के संबंध में जांच के दौरान जैविक माता–पिता के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की जायेगी। (धारा– 38(1))

6. कोई भी समाचार पत्र, पत्रिका या ऑडियो–विडियों मीडिया या अन्य कोई संवाद के माध्यम के द्वारा देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे के संबंध में जांच, अन्वेक्षण या न्यायिक कार्यवाही के तहत् बच्चे की पहचान यथा बच्चे का नाम, पता व फोटो या अन्य विवरण का उजागर/प्रकाशन करता है, तो संबंधित व्यक्ति को 6 माह तक की सजा तथा 2.00 लाख रूपये तक का जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। परन्तु विशेष परिस्थितियों में बाल कल्याण समिति द्वारा कारणों को लिखित में उल्लेख करते हुए जांच के दौरान बच्चे के हित में पहचान उजागर की अनुमति प्रदान कर सकती हैं। (धारा–74)

7. किसी जैविक माता–पिता द्वारा शिशु/बच्चे का परित्याग उन परिस्थितियों में किया जाता है, जो उनके नियंत्रण के बाहर है, तो यह माना जायेगा कि बच्चे का परित्याग जानबूझकर नहीं किया गया है, तथा उन पर दाण्डिक प्रावधान लागू नहीं होंगे। (धारा– 75(1))

8. कोई भी व्यक्ति या संस्था द्वारा अनाथ, परित्यक्त, समर्पित शिशु/बच्चे को दत्तक ग्रहण/गोद देने की निर्धारित प्रकिया के बिना बच्चे को देने का प्रस्ताव रखता या देता है या प्राप्त करता है, तो उस व्यक्ति या संस्था को अधिकतम 3 वर्ष की सजा तथा 1.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में पुलिस स्वविवेक अथवा इस संबंध में सूचना मिलने पर तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट करेगी तथा ऐसे बच्चे को तत्काल संबंधित बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करेगी, ताकि समिति बच्चे के पुनर्वास के संबंध में आवश्यक आदेश पारित कर सके। (धारा–80, नियम 58 (1), (2))

9. कोई भी व्यक्ति किसी शिशु/बच्चे को प्राप्त करता है या खरीदता है या बेचता है, तो उसे अधिकतम 5 वर्ष की सजा तथा 1.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। यदि ऐसा कार्य शिशु/बच्चे का वास्तविक प्रभार अथवा नियंत्रणकर्ता के द्वारा अथवा अस्पताल/नर्सिंग होम/प्रसूति केन्द्र के कर्मचारी द्वारा किया जाता है तो उसे न्यूनतम 3 वर्ष से अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा से दण्डित किया जा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में पुलिस सूचना मिलने पर तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट करेगी तथा ऐसे बच्चे को तत्काल संबंधित बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करेगी, ताकि समिति बच्चे के पुनर्वास के संबंध में आवश्यक आदेश पारित कर सके। (धारा–81, नियम 59 (1), (3))

10. उपरोक्त वर्णित संस्थान या उससे जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 81 में वर्णित अपराध कारित किया जाता हैं, तो बाल कल्याण समिति संबंधित संस्थान में मौजूद अन्य बच्चों को भी किसी अन्य संस्थान में रखने का आदेश कर सकेगी। समिति राज्य सरकार को संबंधित संस्थान या उससे जुड़े किसी व्यक्ति की मान्यता समाप्त करने की अनुशंषा भी कर सकेगी। (नियम 59 (5), (6))

11. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नवीन "दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017" के बिन्दु संख्या 33 (3) के अन्तर्गत राज्य सरकार अधिनियम की धारा 32, 41(1), 41(5), 65(4), 80, 81 के उल्लंघन के मामलों में शिकायत मिलने पर या स्वविवेक प्रसंज्ञान लेकर संबंधित संस्था या कार्मिक को अवसर प्रदान करने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही कर सकेगी।

12. आश्रय/शिशु पालना स्थलों/केन्द्रों की स्थापना जिले के राजकीय अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/नर्सिंग होम/विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी/अल्पावास गृह/स्वाधार गृह परिसर के सुरक्षित स्थान पर की जायेगी एवं उक्त स्थल/केन्द्र स्थापित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि स्थल/केन्द्र बहुत भीड़–भाड़ या ज्यादा आवागमन वाले स्थान पर न हो, जिससे कि शिशुओं का परित्याग करने वाले माता/पिता ऐसे स्थानों पर आने से भयभीत हो या संकोच करें।

13. आश्रय/शिशु पालना स्थलों/केन्द्रों के प्रभावी संचालन एवं पर्यवेक्षण के लिए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सालय/अस्पताल में कार्यरत/पदस्थापित नर्स/जीएनएम/प्रसाविका को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर सकेगा।

14. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर एएनएम को ऐसे आश्रय/शिशु पालना स्थलों/केन्द्रों का प्रभारी नियुक्त किया जायेगा तथा उनके द्वारा प्राप्त शिशु/बच्चे को निर्धारित प्रकिया अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

15. आश्रय/शिशु पालना स्थलों/केन्द्रों या अस्पताल परिसर में किसी अनाथ/परित्यक्त/समर्पित (अभ्यर्पित) शिशु/बच्चा मिलने पर उसकी सूचना संलग्न प्रारूप–1 में संधारित की जायेगी तथा शिशु/बच्चे के स्वास्थ्य की प्रारंभिक जांच सुनिश्चित की जायेगी।

16. शिशु/बच्चे के स्वस्थ होने की स्थिति में बच्चे को प्रभारी अधिकारी या किसी अन्य कार्मिक द्वारा उसे प्रारूप–2 (आदर्श नियम का फॉर्म 17) में विवरण सहित अधिकतम 24 घण्टे के अन्दर संबंधित बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त प्रारूप की प्रति निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित पुलिस थाने को प्रेषित की जायेंगी। अस्पताल परिसर में अन्य कोई देखेभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे प्राप्त होने की स्थिति में भी उक्त प्रारूप में ही विवरण सहित बच्चे को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

17. 2 वर्ष से कम उम्र के शिशु/बच्चे के अस्वस्थ होने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित संस्थान द्वारा शिशु/बच्चे को चिकित्सालय/अस्पताल में भर्ती कराते हुए आवश्यक निःशुल्क मेडिकल एवं पर्सनल केयर उपलब्ध कराई जायेगी। शिशु/बच्चे के संदर्भ में लिखित रिपोर्ट मय पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 24 घण्टे के अन्दर प्रारूप–3 में संबंधित बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। समिति सूचना प्राप्त होने पर जिले में स्थापित किसी विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी को शिशु/बच्चे की देखरेख

सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करेगी। उक्त रिपोर्ट की प्रति निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित पुलिस थाने को प्रेषित की जायेगी।

18. संबंधित शिशु/बच्चे के स्वस्थ होने पर संस्थान द्वारा तुरन्त उसे प्रारूप–2 (आदर्श नियम का फॉर्म 17) में विवरण मय स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा प्रमाण–पत्र के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त प्रारूप की प्रति भी निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित पुलिस थाने को प्रेषित की जायेगी।

19. विशेष परिस्थितियों यथा कार्मिक की अनुपलब्धता में शिशु/बच्चे को संबंधित समिति के समक्ष प्रस्तुत करने में हो रही देरी को दृष्टिगत रखते हुए शिशु/बच्चे के संबंध में लिखित सूचना प्रारूप–4 में तत्काल संबंधित स्थानीय पुलिस थाने/चाइल्ड लाइन (1098)/जिला बाल संरक्षण इकाई को दी जायेगी, जिनके द्वारा नियमानुसार शिशु/बच्चे को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

20. संबंधित बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार शिशु/बच्चे को किसी पंजीकृत विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी/बाल देखरेख संस्थान में प्रवेशित कराने की कार्यवाही की जायेगी। शिशु/बच्चे की चिकित्सा रिपोर्ट संबंधित बाल कल्याण समिति के माध्यम से संबंधित विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी/बाल देखरेख संस्थान को उपलब्ध कराई जायेगी।

21. किसी शिशु/बच्चे को परित्यक्त करते समय, परित्यक्त करने वाले व्यक्ति से किसी भी तरीके की पूछताछ नहीं की जायेगी, जिससे शिशुओं का सुरक्षित परित्यक्त करने में मदद मिल सके एवं शिशु/बच्चे के परित्यक्त करने के सभी मामलों को गोपनीय रखा जायेगा। शिशु/बच्चे के संदर्भ में बच्चे की निजता एवं गोपनीयता का ध्यान रखते हुए मीड़िया में शिशु/बच्चे का विवरण नहीं दिया जायेगा।

22. किसी भी स्थिति में शिशु/बच्चे को चिकित्सालय/अस्पताल द्वारा कार्मिक या अन्य किसी सामाजिक कार्यकर्ता या स्वयंसेवी संस्था को सीधे ही सुपूर्द नहीं किया जायेगा।

23. यदि ऐसे कोई शिशु/बच्चे के किसी रिश्तेदार या संबंधी द्वारा शिशु/बच्चे पर किसी प्रकार का दावा भी किया जाता है, तो भी उसे उपरोक्त वर्णित संस्थान द्वारा स्वयं के स्तर पर शिशु/बच्चा सुपूर्द नहीं दिया जायेगा तथा उस व्यक्ति को संबंधित बाल कल्याण समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु कहा जायेगा।

24. आश्रय/शिशु पालना स्थलों/केन्द्रों या अस्पताल/चिकित्सालय परिसर में मिले किसी अनाथ/परित्यक्त/समर्पित (अभ्यर्पित) शिशु/बच्चे की देखरेख, संरक्षण एवं पुनर्वास की समस्त जिम्मेदारी संबंधित बाल कल्याण समिति एवं विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी की हैं तथा इस संबंध में समस्त कार्यवाही किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर प्रसारित विनियमन/दिशा–निर्देश के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

25. यदि किसी विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा उनके आश्रय/शिशु पालना स्थल/केन्द्र में मिले किसी नवजात किसी अनाथ/परित्यक्त/समर्पित (अभ्यर्पित) शिशु/बच्चे को ईलाज के लिए चिकित्सालय/अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, तो उसे आवश्यक

निःशुल्क मेडिकल केयर उपलब्ध कराई जायेगी, ऐसे शिशु/बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी संबंधित एजेन्सी की होगी।

26. आश्रय/शिशु पालना स्थलों/केन्द्रों या अस्पताल/चिकित्सालय परिसर में मिले किसी अनाथ/परित्यक्त/समर्पित (अभ्यर्पित) शिशु/बच्चे के मृत पाये जाने या ईलाज के दौरान मृत्यु हो जाने की लिखित सूचना प्रारूप–5 में तत्काल संबंधित बाल कल्याण समिति एवं संबंधित पुलिस थाने को दी जायेगी तथा पोस्टमार्टम के पश्चात बच्चे की मृत देह (शव) को संबंधित विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी को सौंपा जायेगा तथा एजेंसी द्वारा नियमानुसार शव का अन्तिम संस्कार किया जायेगा।

27. यदि चिकित्सालय/अस्पताल प्रशासन के ध्यान में यह आता है कि कोई महिला अपने बच्चे का पालना करने में अक्षमता अथवा असमर्थता व्यक्त करती है तथा बच्चे को सुपूर्द करने को इच्छुक है, तो ऐसे प्रकरणों में महिला को संबंधित बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत होकर विधिवत रूप से शिशु/बच्चे को समर्पित (अभ्यर्पित) करने हेतु कहा जायेगा। समिति द्वारा यह कार्यवाही पूर्णतः गोपनीयता के साथ की जायेगी। तथा बच्चे को समर्पित (अभ्यर्पित) करने वाले के विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

28. यदि अस्पताल/सैटेलाइट चिकित्सालय/नर्सिंग होम/प्रसूति केन्द्र/फर्टिलिटी सेन्टर के प्रशासन के ध्यान में यह लाया जाता है कि उसके किसी कार्मिक अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अनाथ, परित्यक्त, समर्पित शिशु/बच्चे को स्वयं के स्तर पर बच्चे को देने का प्रस्ताव रखता या देता है या प्राप्त करता है अथवा किसी शिशु/बच्चे को प्राप्त करता है या खरीदता है या बेचता है या अधिनियम के अंतर्गत कोई अन्य अपराध कारित किया जाता है, तो ऐसे प्रकरणों में संस्थान द्वारा संबंधित के विरूद्ध तत्काल एफ.आई.आर. दर्ज कराई जायेगी।

29. प्रत्येक अस्पताल/सैटेलाइट चिकित्सालय/नर्सिंग होम/प्रसूति केन्द्र/फर्टिलिटी सेन्टर के प्रमुख स्थानों पर प्रारूप–6 में वर्णित सूचना का बोर्ड प्रदर्शित कर व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

30. अस्पताल/चिकित्सालय द्वारा जिले में संचालित समस्त आश्रय/शिशु पालना स्थलों/केन्द्रों या की सूची मय प्रभारी अधिकारी का विवरण संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई (उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) को उपलब्ध कराया जायेगा। त्रैमासिक स्तर पर आश्रय/शिशु पालना स्थलों/केन्द्रों में प्राप्त शिशु/बच्चों की इकजाई सूचना संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई आवश्यक रूप से प्रेषित की जायेगी।

उक्त आदेश की पालना का पर्यवेक्षण जिला स्तर पर जिला कलेक्टर (अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई) द्वारा किया जायेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

(ओ. पी. मीना)
मुख्य सचिव

(7)

क्रमांकः एफ24(3)(17)बाअवि/सारा/दत्तक ग्रहण/अस्पताल शि.पा.के./15/55706-56856 जयपुर, दिनांकः 25/1/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, सचिव (प्रथम/द्वितीय), माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, बाल अधिकारिता विभाग एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
8. सचिव, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, गांधी नगर, जयपुर।
9. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
10. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान पुलिस, लाल कोठी, जयपुर।
11. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल सरंक्षण इकाई, ...।
12. पुलिस उपायुक्त/अधीक्षक .....।
13. समस्त अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति .....।
14. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट,.....।
15. उपनिदेशक, आईसीपीएस/सारा, बाल अधिकारिता विभाग, मुख्यावास।
16. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं प्रभारी, जिला बाल संरक्षण इकाई, ...।
17. समस्त मुख्य/अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ...।
18. समस्त पी.एम.ओ./अधीक्षक/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय अस्पताल/सैटेलाइट चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र.....।
19. समस्त अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह/बालिका गृह/शिशु गृह/राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी, बाल अधिकारिता विभाग, ...।
20. समस्त अधीक्षक/प्रभारी, गैर राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी,.....।
21. समस्त समन्वयक, चाईल्ड लाईन,.....।
22. समस्त अधीक्षक/प्रशासक/संचालक, निजी अस्पताल/नर्सिंग होम/प्रसूति केन्द्र/फर्टिलिटी सेन्टर,.....।
23. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
सान्याअवि.

प्रारूप 01

शिशु/बच्चा प्राप्ति रजिस्ट्रर

क्र. सं.	शिशु प्राप्ति दिनांक	शिशु प्राप्ति समय	शिशु लिंग	शिशु स्वास्थ्य स्थिति	पालने से शिशु किसने प्राप्त किया नाम, पद व हस्ताक्षर	आश्रय/ पालना स्थल प्रभारी का नाम, पद व हस्ताक्षर	किस प्राधिकारी को सूचना दी गई (बाल कल्याण समिति/ स्थानीय पुलिस/ चाइल्ड लाइन (1098)/ जिला बाल संरक्षण इकाई)	शिशु किसे सुपुर्द किया उस समिति/ संस्थान का नाम, पता व फोन नम्बर	शिशु जिसे सुपुर्द किया उस अधिकारी का नाम, पद फोन नं. व हस्ताक्षर	शिशु सुपुर्दगी की दिनांक व समय	चिकित्साधिकारी का नाम, पद व हस्ताक्षर

प्रारूप – 2

(फॉर्म 17)

(नियम 18 (2), 19(25))

बच्चे की समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के समय पेश जाने वाली रिपोर्ट

मामला सं. .....

बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया .....

प्रस्तुत करने की तिथि ..... प्रस्तुत करने का समय .....
.....

प्रस्तुत करने का स्थान .....

1. बच्चे का प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का विवरण

I. व्यक्ति का नाम .....
II. उम्र .....
III. लिंग .....
IV. पता .....
V. संपर्क फोन संख्या.....
VI. व्यवसाय/पदनाम .....
VII. संगठन/बा.सं.सं./एसएए का नाम.....

2. प्रस्तुत किया गया बालक :

I. नाम (यदि कोई है) .....
II. आयु (आयु लिखें/शक्ल सूरत के आधार पर आयु लिखें)
III. लैंगिकता .....
IV. पहचान चिह्न .....
V. बच्चे की भाषा.....

3. माता–पिता/संरक्षक का विवरण (यदि उपलब्ध हो):

I. नाम .....
II. आयु .....
III. पता .....
IV. संपर्क (फोन संख्या) .....
V. व्यवसाय/पदनाम .....
VI. व्यवसाय.....

4. स्थान जहां बच्चा प्राप्त हुआ .....

5. उस व्यक्ति का विवरण जिसके साथ बच्चा पाया गया :

I. नाम .....
II. आयु .....
III. पता .....
IV. संपर्क (फोन संख्या) .....
V. व्यवसाय.....

6. बच्चा किन परिस्थितियों में पाया गया? .....

7. बच्चे पर किसी भी प्रकार के अपराध/दुराचार का बच्चे द्वारा किया गया दोषारोपण .....

8. बच्चे की शारीरिक स्थिति .....

9. प्रस्तुति के समय बच्चे का सामान .....

10. बच्चे के बा.सं.सं./SAAमें आने की तिथि और समय .....

11. बच्चे के परिवार को खोजने के लिए किए गए तुरंत प्रयास?.....

12. क्या बच्चे की चिकित्सा जांच की गई है? .....

13. क्या पुलिस को सूचित किया गया है? .....

बच्चे के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

बच्चे को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(11)

प्रारूप – 3

दिनांक / /

प्रतिष्ठा में,

श्रीमान अध्यक्ष/सदस्य,
बाल कल्याण समिति,
.....।

शिशु/बच्चे का फोटो यहां चिपकावें।

विषयः– शिशु/बच्चे के सुरक्षित परित्याग के संबंध में।

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक ..... को ..... बजे एक शिशु/बच्चे का सुरक्षित परित्याग चिकित्सालय परिसर/परिसर में स्थापित "आश्रय/पालना स्थल" में किया गया। शिशु/बच्चे का लिंग ..... है एवं उम्र लगभग.....है और रंग .....है वजन..... हैं। प्रारम्भिक चिकित्सा जांच में शिशु/बच्चा अस्वस्थ पाया गया है तथा उसका आवश्यक उपचार किया जा रहा है।

उक्त शिशु/बच्चे के परित्याग के संबंध में प्राप्त सूचना का विवरण निम्नानुसार हैः–

1. बच्चा किन परिस्थितियों में पाया गया? .....
2. बच्चे की शारीरिक स्थिति .....
3. प्रस्तुति के समय बच्चे का सामान .....
4. बच्चे की चिकित्सा जांच का विवरण .....
5. क्या पुलिस को सूचित किया गया है? .....

उक्त शिशु/बच्चे के स्वस्थ होने पर उसे समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जायेगा। अतः सूचना समिति स्तर पर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

धन्यवाद!

प्रमुख चिकित्साधिकारी
हस्ताक्षर मय मोहर

संलग्नः– रिपोर्ट (यदि कोई)

प्रारूप – 4

दिनांक / /

शिशु/बच्चे का फोटो यहां चिपकावें।

प्रतिष्ठा में,

थानाधिकारी,
पुलिस थाना.....
जिला.....।

उपनिदेशक/सहायक निदेशक,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं प्रभारी, जिला बाल संरक्षण इकाई.....।

समन्वयक,
चाइल्ड लाइन (1098),
.....।

विषयः– शिशु/बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के संबंध में।

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक ..... को ..... बजे एक शिशु/बच्चे का सुरक्षित परित्याग चिकित्सालय परिसर/परिसर में स्थापित "आश्रय/पालना स्थल" में किया गया। शिशु/बच्चे का लिंग ..... है एवं उम्र लगभग.....है और रंग .....है वजन..... हैं।

उक्त शिशु/बच्चे के संबंध में विवरण निम्नानुसार हैः–

1. बच्चा किन परिस्थितियों में पाया गया? .....
2. बच्चे की शारीरिक स्थिति .....
3. प्रस्तुति के समय बच्चे का सामान .....
4. बच्चे की चिकित्सा जांच का विवरण .....
5. क्या पुलिस को सूचित किया गया है? .....

उक्त शिशु/बच्चे की देखरेख और पुनर्वास हेतु तुरन्त इसे प्राप्त कर जिले की बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का श्रम करावें।

धन्यवाद!

प्रमुख चिकित्साधिकारी
हस्ताक्षर मय मोहर

संलग्नः– रिपोर्ट (यदि कोई)

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, ...।

प्रारूप – 5

दिनांक / /

प्रतिष्ठा में,

श्रीमान थाना अधिकारी महोदय,
थाना.....
जिला..... ।

विषयः– "आश्रय/पालना स्थल" के पालने में प्राप्त शिशु/बच्चे की मृत्यु हो जाने पर/मृत शिशु पाये जाने पर पोस्टमार्टम एवं विधि अनुसार कार्यवाही बाबत् निवेदन।

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक ..... को ..... बजे एक शिशु/बच्चे का सुरक्षित परित्याग चिकित्सालय परिसर/परिसर में स्थापित "आश्रय/पालना स्थल" में किया गया। शिशु/बच्चे का लिंग ..... है एवं उम्र लगभग.....है और रंग .....है वजन..... हैं। शिशु/बच्चे की मृत्यु दिनांक ..... को .....बजे हो गई है/परिक्षण में शिशु/बच्चे मृत पाया गया है।

अतः आपसे निवेदन है कि शिशु/बच्चे के मृत देह की पोस्टमार्टम हेतु विधि अनुरूप कार्यवाही कर, संबंधित बाल कल्याण समिति के निर्देशानुसार शव के अन्तिम संस्कार हेतु कार्यवाही करवाने की व्यवस्था करवाये।

संलग्नः– मृत्यु प्रमाण पत्र

प्रमुख चिकित्साधिकारी
हस्ताक्षर मय मोहर

प्रतिलिपिः– सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति..... ।
2. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं प्रभारी, जिला बाल संरक्षण इकाई ..... ।

प्रारूप – 6

प्रदर्शित की जाने वाली सूचना का नमूना – 1

"किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 80 के तहत् कोई भी व्यक्ति या संस्था द्वारा अनाथ, परित्यक्त, समर्पित बच्चे को दत्तक ग्रहण/गोद देने की निर्धारित प्रक्रिया के बिना बच्चे को देने का प्रस्ताव रखता या देता है या प्राप्त करता है, तो उस व्यक्ति या संस्था को अधिकतम 3 वर्ष की सजा तथा 1.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।

यदि कोई व्यक्ति बच्चों को दत्तक ग्रहण/गोद देने की निर्धारित प्रक्रिया के बिना बच्चे को देने का प्रस्ताव रखता या देता है या प्राप्त करता है, तो तत्काल इसकी सूचना संबंधित पुलिस थाने/चाइल्ड लाइन 1098 अथवा बाल कल्याण समिति को दे।

बच्चे को गोद लेने के लिए जिले में संचालित विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी (शिशु गृह) अथवा केन्द्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण (कारा), भारत सरकार की वेबसाईट www.cara.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।"

प्रदर्शित की जाने वाली सूचना का नमूना – 2

"किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 81 के तहत् कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को प्राप्त करता है या खरीदता है या बेचता है, तो उसे अधिकतम 5 वर्ष की सजा तथा 1.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। यदि ऐसा कार्य बच्चे का वास्तविक प्रभार अथवा नियंत्रणकर्ता के द्वारा अथवा अस्पताल/नर्सिंग होम/प्रसुति केन्द्र के कर्मचारी द्वारा किया जाता है तो उसे न्यूनतम 3 वर्ष से अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा से दण्डित किया जा सकेगा।

संस्थान या उससे जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा उक्त अपराध कारित किया जाता हैं, तो बाल कल्याण समिति राज्य सरकार को संबंधित संस्थान या उससे जुड़े किसी व्यक्ति की मान्यता समाप्त करने की अनुशंषा भी कर सकेगी।

यदि कोई व्यक्ति बच्चों को खरीद फरोख्त कर रहा है, तो तत्काल इसकी सूचना संबंधित पुलिस थाने/चाइल्ड लाइन 1098 अथवा बाल कल्याण समिति को दे।

बच्चे को गोद लेने के लिए जिले में संचालित विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी (शिशु गृह) अथवा केन्द्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण (कारा), भारत सरकार की वेबसाईट www.cara.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।"

प्रदर्शित की जाने वाली सूचना का नमूना – 3

"कोई भी माता/पिता अपने शिशु/बच्चे को पालने में असमर्थ है, तो वे बच्चों को झाडियों अथवा किसी अन्य असुरक्षित स्थान पर छोडने के स्थान पर अस्पताल/चिकित्सालय अथवा विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी (शिशु गृह) में स्थित आश्रय/शिशु पालना स्थलों/केन्द्रों में शिशु/बच्चे का सुरक्षित परित्याग कर सकते है।

शिशु/बच्चे को परित्यक्त करने वाले जैविक माता–पिता के विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जायेगी।"

प्रदर्शित की जाने वाली सूचना का नमूना – 4

"माता–पिता या संरक्षक द्वारा उनके नियंत्रण के बाहर किन्हीं शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक कारणों से अपने शिशु/बच्चे का समर्पण (अभ्यर्पण) करना चाहते हैं, तो संबंधित बाल कल्याण समिति के समक्ष निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समर्पित कर सकते हैं।

ऐसे माता–पिता या संरक्षक को शिशु/बच्चे के समर्पण करने के संबंध में लिए गए अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए 2 माह का समय दिया जायेगा। शिशु/बच्चे को समर्पित करने वाले ऐसे माता–पिता या संरक्षक के विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जायेगी।"